



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AC 632445

यह दस्तावेज़ पैदा शापथ पर का अंग
है।



ATTESTED
[Signature]
DHARAMPAL SINGH
Advocate Notary
Collectorate Court G. B. N.
22/3/14

[Signature]

“प्ररूप 2:
(नियम 4क दें)

013 गौतमबुद्धनगर
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोक सभा (सदन का नाम) के लिए
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

नाम-क
साफरुहीन **पुत्र/पुत्री/पत्नी शब्वीर अहमद
आयु वर्ष, जो (छाक का पूरा पता

लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ
/ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

(1) मैं पीस पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया
अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 013 गौतमबुद्धनगर (3042) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 311
के क्रम सं० 1334 पर प्रविष्टि है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नम्बर 09756861099 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई
है) है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :-

क्र.सं.	नाम	पैन (PAN)	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1	स्वयं	21-24	21-25	21-25
2	पति या पत्नी	21-24	21-25	21-25
3	आश्रित-1	21-24	21-25	21-25
4	आश्रित-2	21-24	21-25	21-25
5	आश्रित-3	21-24	21-25	21-25

(5) मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों)
का /की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है
/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत
करेगा /करेगी) :-

(i) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास
से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	21-25
-----	--	-------

महेश्वरी

(ख)	संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शुभ
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुभ
(घ)	न्यायालय जिसके(जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई	शुभ
(ङ)	तारीख(तारीखें), जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुभ
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शुभ

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लम्बित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। (पूर्वोक्त नद(1) में वर्णित मामलों से भिन्न)

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुभ
(ख)	उन मामलों के बारे में जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शुभ
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलें)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के बारे में	शुभ

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा-8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है।
(यदि अभिसारी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के बारे में, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शुभ
(ख)	न्यायालय(न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	शुभ
(ग)	अधिरोपित दंड	शुभ
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/हैं। यदि हाँ, तो अपील के बारे में और वर्तमान प्रस्थिति	शुभ

(7) मैं, स्वयं मेरे पति/पत्नी तथा सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) का विवरण निम्नानुसार देता/देती हूँ :-

अ-जंगम आस्तियों के बारे में :-

(टिप्पणी) :-

1. संयुक्त स्याभित्व की सीमा दर्शाते हुए, संयुक्त नाम पर आस्तियों का विवरण भी दिया जाए।

सत्यमेव जयते

2. जमा/विनिधान के मामले में कम सं०, रकम, जमा तिथि, स्कीम, बैंक/ संस्था का नाम तथा शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।
3. सूचीबद्ध-कंपनियों की दशा में बंधपत्रों/ शेयरों डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।
4. यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 76क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।
5. रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्कृत दिए जाने हैं।

कम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	50000/-	20000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा सहकारी समितियों में जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम।	P.N.B. जहाजीपुर 15000/- H.D.F.C. आदिमपुर 1,34,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाकघर बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति अथवा इकाई जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिये गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (निर्माण, पंजीकरण सं० आदि, क्रय का वर्ष का विवरण तथा रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, सोने-चाँदी तथा मूल्यवान वस्तु(वस्तुएँ) (वजन तथा मूल्य का विवरण दें)	शून्य	10 तोला सोना 20 तोला चाँदी 3,10,000	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	किसी अन्य आस्तियों जैसे-दावों/हित का मूल्य।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	1,99,000/-	3,30,000/-	शून्य	शून्य	शून्य

सहकारिता

आ- स्थावर आस्तियों का विवरण :-

(टिप्पणी :-

1. संयुक्त स्थानित्व की सीमा दर्शाते हुए, संयुक्त नाम पर सम्पत्तियों भी दर्शाई जायें।
2. इस फॉर्मेट में प्रत्येक भू-खण्ड या भवन या अपार्टमेंट का पृथक रूप से उल्लेख करें।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी नाम	आश्रित-1 नाम	आश्रित-2 नाम	आश्रित-3 नाम
(i)	कृषि भूमि अवस्थिति(अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्रफल(एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वया विरासत में आई सम्पत्ति है (हो या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास से निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर-कृषि भूमि अवस्थिति(अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	80 वर्ग गज डिल्ली 50 वर्ग गज अहमदाबाद	500 वर्ग गज आशिकपुर जहांगीरपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	5400 वर्ग फुट	3400 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य
	वया विरासत में आई सम्पत्ति है(हो या नहीं)	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	12,000 जन 1990 9,50,000/- सं 2013	4 वर्ष पूर्व 3,55,000	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	उपरोक्त	3,55,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास से निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	मकान बनाना 20,00,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	1,00,00,000 15,00,000 1,15,00,000/-	30,00,000	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	शून्य	650 वर्ग गज जहांगीरपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	उपरोक्त	शून्य	शून्य	शून्य

संलग्न

-5-

	निर्मित क्षेत्र(वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	60 वर्गफुट	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है(हो या नहीं)	नहीं	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	शून्य	5 वर्ष पूर्व	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	15,66,850	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास से निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित घालू बाजार मूल्य	शून्य	20,50,000	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंटों सहित) अवस्थिति(अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र(वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई सम्पत्ति है(हो या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास से निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित घालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल घालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शौध्यों के ब्योरे विवरण निम्नानुसार देता/देती हूँ :-

(टिप्पणी: कृपया बैंक, संस्थान, निकाय या व्यष्टिक का नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्योरे का पृथक विवरण दें)

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी नाम	आश्रित-1 नाम	आश्रित-2 नाम	आश्रित-3 नाम
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं) के ऋण या शौध बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सहिल सिंह

	पूरोक्त वर्गित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम बकाया रकम ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत् आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल की आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर्स सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रय कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(III)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	यदि कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्दलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृत्ति या उपजिविका के बारे में

क. स्वयं असादी ट्रेडिंग कंपनी जहाँगीर

ख. पति-स पत्नी NIL

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

मैट्रिक उई से अदरसा लुलुल इस्लाम जहाँगीर

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम के साथ उच्चतम स्कूल/विश्वविद्यालयी शिक्षा का विवरण दें)

(उस स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष, जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया।)

سید ابوالحسن

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए व्योरे का उद्घरण :

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमारी सफरुद्दीन					
2.	डाक का पूरा पता	मो. व्यापारिकान कला व श. जहोरी 82 तह. जवर गौतम बुद्धनगर					
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	013 गौतम बुद्धनगर उत्तर प्रदेश					
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	पीस पार्टी					
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य					
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर नद(i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	शून्य					
8	ऐसे कुल मामलों की संख्या, जिनमें सिद्धोष दहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय)	शून्य					
	का स्थायी लेखा संख्या (PAN No.)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।		कुल दर्शित आय			
(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य			
(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य			
(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य			
8	आस्तियों और दायित्वों के व्योरे रुपये में						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
क	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	1,99,000/-	3,30,000	शून्य	शून्य	शून्य	
ख	स्थावर आस्तियाँ	दिल्ली जहोरी	आश्रित-1 जहोरी	शून्य	शून्य	शून्य	
(i)	स्थार्जित स्थावर संपत्ति की कय कीमत	10,62,000	10,55,000	शून्य	शून्य	शून्य	
(ii)	ग्रय के पश्चात स्थावर सम्पत्ति की विकास / सन्निर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	20,00,000	शून्य	शून्य	शून्य	

NOTARY
D P SINGH
Advocate
G B Nagar
R N
Govt of India

सफरुद्दीन

(iii)	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	115,00,000/-	50,00,000/-	21.4	21.4	21.4
कि	(क) स्वयंजित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	115,00,000/-	50,00,000/-	21.4	21.4	21.4
नमोप	(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	115,00,000/-	50,00,000/-	21.4	21.4	21.4
9.	दायित्व	115,00,000/-	50,00,000/-	21.4	21.4	21.4
(i)	सरकारी ऋण (कुल)	115,00,000/-	50,00,000/-	21.4	21.4	21.4
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	115,00,000/-	50,00,000/-	21.4	21.4	21.4
(iii)	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	115,00,000/-	50,00,000/-	21.4	21.4	21.4
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/उपाधि पाठ्यक्रम के पूरे नाम के साथ स्कूल/विश्वविद्यालयी शिक्षा का विवरण दें) (उस स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष, जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया)	115,00,000/-	50,00,000/-	21.4	21.4	21.4

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषयवस्तु मेरी सर्वाधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद सं० 5 और 6 में उल्लिखित दोष सिद्धि का मानला या लपित मानले से भिन्न कोई दोष सिद्धि का मानला या लपित मानला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 22/03/2014 को सत्यापित किया गया।

DHARAMPAL SINGH
Advocate Notary

अभिसाक्षी

नोट-

Collectorate Court G.B.N.

1. शपथपत्र नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि को अधिकतम 3.00 बजे अपराह्न तक दाखिल कर दिया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र पर ओथ कमिश्नर या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
3. सभी खाने भरे जाने चाहिए और कोई भी खाना खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी मद के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तो या 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथपत्र या तो दंकित होना चाहिए या पठनीय और स्वच्छ तरीके से लिखा होना चाहिए।

नोट 5 : अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) वर्ष 2008 की सं० 121-रिसरजेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य एवं दिए गए दिनांक 13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक है। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जाँच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। मा० न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे : 'शून्य' या लागू नहीं होता या 'ज्ञात नहीं है, जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जायेगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जाँच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

नोट 6 : शपथ-पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए :-

"मेरा टेलीफोन नं० 9756 861099 है/हैं,

मेरा ईमेल आई डी (यदि कोई हो) शून्य है,

और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) शून्य है।

सुप्रदीप सिंह